प्र.सं. 34/24 रामसिंह के बजाय श्रीमती भंवर कुंवर व अन्य बनाम गणेशलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.06.2025	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 गणेशलाल द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.03.2009 को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 4 रामसिंह को आराजी नंबर 342 रकबा 0.45 हैक्टर का विक्रय पत्र दिनांक 28.04.1978 के आधार पर खातेदार घोषित किया गया। उक्त डिक्री की पालना हेतु प्रतिवादी संख्या 4 रामसिंह द्वारा इजराय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.07.2024 को खारिज कर दिया गया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 4) द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 09.09.2024 को प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री धनसिंह झाला उपस्थित हुए, शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने हकरसी का प्रार्थना पत्र 9 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत होने के आधार पर खारिज कर दिया, जबकि आदेश 21 के अनुसार इसकी मयाद 12 वर्ष है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 21 नियम 11, 12 के प्रावधानों पर कोई गौर नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने आराजी नंबर 342 का अपीलान्ट को खातेदार घोषित करते हुए वर्ष 2009 में उसके पक्ष में डिक्री जारी की है, जिसकी पालना की जाना आवश्यक है, लेकिन अधीनस्थ न्यायलय ने उक्त प्रार्थना पत्र 9 वर्ष बाद पेश किये जाने के	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:48:53 IST
Reason: SelfAttested

आधार पर खारिज कर दिया, जबकि कानूनन इजराय का प्रार्थना पत्र 12 वर्ष की अवधि में किसी भी समय प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किया जावे तथा वर्ष 2009 में अपीलान्ट के पक्ष में जारी डिक्री की पालना किये जाने का आदेश फरमाया जावे। अपने कथन के समर्थन में लिमिटेशन एक्ट पेज 808, ए.आई.आर. 2001 पेज 229 प्रस्तुत की।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं न्यायिक नजीरों का अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इजराय प्रार्थना पत्र 9 वर्ष बाद प्रस्तुत किये जाने के आधार पर खारिज कर दिया है, जबकि लिमिटेशन एक्ट की धारा 136 के अनुसार डिक्री की पालना कराये जाने की मयाद 12 वर्ष निर्धारित की गयी है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का आदेश प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 1/2018 आदेश दिनांक 30.07.2024 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में इजराय की पालना हेतु निर्धारित प्रक्रिया की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 11.08.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 12.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:48:53 IST
Reason: SelfAttested